



आज्ञा या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

14-3-18 वकील उभयपक्ष उपा। जवाब 1-9 के शवसत पाया। फगावली वाले पत्रे घेमे जवाब 1-9 दिनांक 25-4-18 को पत्रे घे तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

25-4-18 वकील उभयपक्ष उपा। जवाब 1-9 के पुनः शवसत पाया। वाले पत्रे घेमे जवाब 1-9 दिनांक 24-6-18 को पत्रे घे तब तक पूर्व आदेश प्रभावी रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

29-6-18 फगावली राजस्य लाके अदालत न्याय आपके डा. 20/18 केम्प विरामरते पत्रे कुश। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वरस प्रार्थना पत्र सुनी गयी अनन सिपागण अतः मूलवाद के लक्ष्यो पर प्रकृत के न्याय पूर्ण निस्तारण तब दोनों पक्षों के आस्थापी विवेकावासे पाषण्ड सिपा जगताई कि वे मुक्ति प्रकृत 3160/0-09, 2708/0-26, 2710/0-31, 2711/0-33, 2712/0-19, 3170/0-05, 3169/0-03, 3171/0-04, वकि गान विरामरते की मोका व राजस्य सिपा की यथास्थिति जगते रहे। प्रकृत फांल कुम् एके लक्ष्यो के अतः निष्पत्ति भजगा ए आभा केम्प को विरामरते के सुनापा गपा।

[Handwritten signature]